न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 72/2017 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. सरदार पुत्र स्व0 श्री दूलेराम जाति जाट निवासी ग्राम ढाकपुरी तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राज0 ।

..... अपीलांट/प्रतिवादी

बनाम

1. रामजती पुत्र बदरी,
2. प्रभाती पुत्र बदरी,
3. नत्थीसिंह पुत्र बदरी,
4. बाबूलाल पुत्र बदरी,
5. लालचन्द पुत्र बदरी,
6. श्रीचन्द पुत्र बदरी जातियान जाट निवासीयान ग्राम ढाकपुरी तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राज0 ।

..... असल रेस्पो0/वादीगण

7. कौशल्या देवी पत्नि श्री भुल्लीराम जाति जाट निवासी ग्राम ढाकपुरी तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राज0 ।
8. कमला देवी पत्नि बाबूलाल जाति नाई निवासी ढाकपुरी तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राज0 ।

..... तरतीबी रेस्पो0

9. उप पंजीयक तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राज0 ।

..... तकमीली रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री जगदीश चन्द सतीजा अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री अमरचन्द चोधरी, अभिभाषक असल रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–13.04.2018

यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर, अलवर के निर्णय दिनांक 05.09.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

13/4

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि हाल आराजी ख0 नं0 687/0.01, 688/0.01, 689/0.65, 690/0.22, 692/0.18, 693/0.07, 694/0.13, 698/0.02, 699/0.05, 700/0.05, 701/0.68 जिसके साबिक ख0 नं0 281 मिन रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा थे तथा ख0 नं0 763/0.30, 764/0.60, 764/1564/0.01 ऐयर के साबिक ख0 नं0 346 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा तथा 890/0.22 का साबिक ख0 नं0 398 रकबा 0.17, 311/0.14, 314/0.14 ऐयर के साबिक ख0 नं0 218 मिन रकबा 10 बिस्वा तथा 316 रकबा 0.06, ऐयर, 317/0.06 के साबिक ख0 नं0 217 मिन रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 1150/0.66, 1149/0.55, साबिक ख0 नं0 593 मिन रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा, 828/0.35, 829/0.46 जिसके साबिक ख0 नं0 373 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा कायम किये थे तथा आराजी ख0 नं0 951/0.93, 952/0.01 जिनके साबिक ख0 नं0 340 मिन रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा कायम किये जो वाके ग्राम जमालपुर तहसील मालाखेड़ा में स्थित है । हाल ख0 नं0 951/0.99, 952/0.01 वाके ग्राम जमालपुर में स्थित है जिस आराजी के पूर्व रेकार्डेड खातेदार काश्तकार बीरबल था । बीरबल के स्वर्गवास के बाद इन्तकाल सं0 55 सम्वत् 2032 में दूलेराम, बदरी के नाम स्वीकार हो गया जबकि दूलेराम सन् 1993 में ही सम्पत के गोद चला गया । गोद चले जाने के बाद उक्त आराजी में कोई हिस्सा व अधिकार नहीं रहा । इसी प्रकार वाके ग्राम ढाकपुरी तहसील मालाखेड़ा में 1/2, 1/4, 1/2 भाग का पूर्व में रेकार्डेड खातेदार श्री बीरबल था । बीरबल के स्वर्गवास हो जाने के बाद उक्त आराजी का हिस्से अनुसार इन्तकाल सं0 41 सम्वत् 2032 में दूलेराम व बदरी के नाम स्वीकार हो गया जबकि दूलेराम सन् 1933 में ही सम्पत के गोद चला गया जिससे दूलेराम का कोई हिस्सा व अधिकार नहीं रहा । गलत इन्द्राजात इन्तकालों के आधार पर हाल राजस्व रेकार्ड में दूलेराम का नाम दर्ज चला आ रहा है । अप्रार्थी सं0 1 के नाम जो इन्द्राज गलत दर्ज हो गये । उक्त इन्द्राज को कलमजन किया जाकर कुल आराजी के खातेदार वादीगण को दर्ज किया जावें । अप्रार्थी सं0 1 के दत्तक पिता दूलेराम ने गलत इन्द्राज के आधार पर हाल ख0 नं0 1149 जरिये बयनामा कौशल्या पत्नि भुल्ली जाट को विक्रय कर दी जिसके आधार पर इन्तकाल सं0 545 दर्ज व स्वीकार हो गया । हाल ख0 नं0 1150 जरिये बयनामा कौशल्या को विक्रय कर दी जिसका इन्काल सं0 420 भी दर्ज व तस्दीक हो चुका है तथा आराजी ख0 नं0 311, 314, 316, 317 का बयनामा दि0 22.11.2004 को कमलादेवी पत्नि बाबूलाल को कर दी जिसका इन्तकाल सं0 372 स्वीकार हो गया जबकि विवादित आराजी विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था । इसी प्रकार हाल ख0 नं0 951 व 952 वाके ग्राम जमालपुर में अप्रार्थी सं0 1 के पिता को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था किन्तु 1/2 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में गलत इन्द्राज किया गया । यदि अप्रार्थीगण ने विवादित आराजी से बेदखल कर दिया तो प्रार्थीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी तथा विवादित आराजी को किसी प्रकार से मुन्तकिल कर दिया तो भी अपूरणीय क्षति होगी । इसलिए जिस स्थिति में ताफैसला दावा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है । प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया । अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों के विद्धान अभिभाषकगण की

13/7

बहस सुनकर दिनांक 5.9.2017 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जिस निर्णय दि0 5.9.2017 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गयी ।

अपीलांट अभिभाषक ने बहस की शुरूआत करते हुए अपील के तथ्यों को दोहराया और अधीनस्थ न्यायालय में पेश प्रार्थना पत्र के तथ्यों का हवाला देते हुए कहा कि विवादित आराजी दो गांव ढाकपुरी व जमालपुर में स्थित है । विवाद यह है कि आराजी का रेकार्डेड खातेदार बीरबल था जो सम्वत् 2032 में फौत हो गया । उसकी विरासत दो पुत्र दूलेराम व बदरी के नाम चढ़ गयी । वादी/रेस्पो0 का कहना है कि दूलेराम तो 1993 में ही गौद चला गया तो बीरबल का वारिस नहीं हो सकता है । इस आधार पर ये दावा घोषणा का लेकर आये हैं उसमें कहा कि बीरबल की विरासत से जो दूलेराम का नाम आया वह गलत है । अपीलांट का कहना कि 38 साल बाद दावा लेकर आये हैं । कानूनी बिन्दु क्या कोई व्यक्ति गोद चला जाता है तो क्या नेचुरल पिता की सम्पति में उसका अधिकार मिलेगा या नहीं ? क्या बीरबल की सम्पति से दूलेराम वंचित होता है और यदि गोद जाने से उसके अधिकार समाप्त होगें या नहीं । मैंने तहत न्यायालय में दो कानूनी नजीरें ए.आई.आर. 2014 पेज 32 व ए.आई.आर. 2016 पेज 5253 पेश की है । उक्त नजीरें जहां निर्णय स्पष्ट है और माना गया कि सह खातेदार यदि सम्पति में चाहे गोद चला गया हो अपने अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हैं । ए.आई.आर. 2014 पेज 32 व ए.आई.आर. 2016 में विधवा ने पुत्र को गोद लिया तो पुत्र व पुत्री सभी को समान अधिकार मिलेगें । तहत न्यायालय ने मैंने जो कानूनी नजीरें प्रस्तुत की है उनकी व्याख्या क्यों नहीं की ? कानूनी नजीर लागू होती है या नहीं यह तहत न्यायालय को लिखना पड़ेगा । साथ ही प्रथम दृष्टया केस क्या है, यह भी बताना होगा । दावे में इन सभी तथ्यों को देखना होगा । अब सह खातेदार को सम्पति में हक मिलेगा या नहीं यह बिन्दु तय करना है । सन् 1932–33 का मामला है । मुख्य बिन्दु यह है कि चाहे गोद गया पर क्या कानूनी बिन्दू से यह तय करें कि क्या उसे अपने पिता की सम्पति में हिस्सा मिलेगा या नहीं । हमें रहन, बय के लिए तहत न्यायालय ने क्यों पाबन्द किया । आर.आर.डी. 1997 पेज 30 में प्रतिपादित किया गया है कि एक खातेदार को रहन, बय के लिए भी पाबन्द नहीं किया जा सकता है । तहत न्यायालय ने वादी/रेस्पो0 का न तो प्राईमाफैसी केस माना और न ही नापूर्ति होने वाली क्षति के बिन्दू को देखा । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य होकर अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

जवाब बहस में अभिभाषक रेस्पो0 का कथन है कि वादी/रेस्पो0 ने तहत न्यायालय में 88, 89 व 188 आर.टी.एक्ट के दावे के साथ 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया । अपीलांट/प्रतिवादी सं0 1 ने विवादित आराजी का बेचान कर दिया उसे नल एण्ड वोईड के लिए तहत न्यायालय में दावा पेश किया । जवाब के बाद वाद बहस 212 आर.टी.एक्ट में मौका व रेकार्ड की यथास्थिति के लिए अपीलांट/प्रतिवादी को पाबन्द किया है जिसकी अपील अपीलांट ने की है । विवादित आराजी के संबंध में यह कहना है कि यह इन्तकाल अकेले बदरी के नाम चढ़ना चाहिए क्योंकि दूलेराम 1933 में ही सम्पत के गोद चला गया ।

13/4

उसके 40 साल बाद बीरबल की मृत्यु हुई । जब दूलेराम, सम्पत के गोद गया तब बीरबल जिन्दा था । बीरबल दूले के गौद जाने से पहले मर जाता और दूलेराम के नाम नामान्तकरण चढ़ जाता और गोद बाद में जाता तो तब तो पिता की सम्पति में उसका बराबर का हिस्सा रहने बाबत अपीलांट तर्क दे सकते थे । यहां ऐसा नहीं है । यहां दूलेराम बीरबल के जीते जी रहते हुए सम्पत के गोद चला गया । सम्पत की समस्त सम्पति पर इन्तकाल सं0 67 चढ़ गया । सम्पत की समस्त सम्पति दूलेराम को आ गयी । इसलिए प्राकृतिक सम्पति में दूलेराम का अब कोई हक नहीं बनता है । बीरबल की मृत्यु के बाद दोनों भाईयों के नाम इन्तकाल गलत चढ़ गया है । इन गलत इन्द्राजों के आधार पर जो बयनामा हो गया उनको बातिल व बेअसर घोषित कराने का मेरा दावा है । गलत इन्तकाल के आधार पर अपीलांट विवादित आराजी का बेचान कर रहा है । अभी हम 1/2–1/2 भाग के खातेदार हैं ।

जवाब बहस में आगे कहा कि नेचुरल पिता के जीवित रहते हुए पुत्र गोद जाता है तो उसे पिता की सम्पति में हिस्सा नहीं मिलता है । इसके अलावा ये बिन्दु दावे में तय होगें कि क्या सम्पति में हिस्सा मिलेगा या नहीं । वादी/रेस्पो0 का 212 का प्रार्थना पत्र है जहां प्रोपर्टी के टाईटल तय होने हो या पारिवारिक विवाद हो वहां रेकार्डेड खातेदार को पाबन्द किया जा सकता है । सजरा मैंने पेश किया है जिसमें दूलेराम का नाम अंकित है । तहत न्यायालय ने अपीलांट की नजीरों का अवलोकन किया है और उसके बाद ही निर्णय दिया है । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय उचित है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । इसलिए अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया । उन्होंने अपने समर्थन में आर. बी.जे. 1998 पेज 484, 24, आर.आर.डी. 2000 पेज 332, आर.आर.डी. 1989 पेज 527, आर. आर.डी. 2015 पेज 497, आर.आर.डी. 2002 पेज 744, आर.आर.टी. 2015 पेज 1445, आर. आर.डी. 2005 पेज 363, 49, 354, 349, आर.आर.डी. 1965 पेज 120, आर.आर.डी. 2006 पेज 294, आर.आर.डी. 2010 पेज 96, हिन्दू विधि एवं रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत सजरा प्रस्तुत किया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली व अपील के तथ्यों एवं रेकार्ड का अवलोकन किया । कानूनी बिन्दुओं पर भी गौर किया ।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस के परिप्रेक्ष्य में तहत न्यायालय ने अपने निर्णय से विवादित आराजी में टाईटल तय करना मानते हुए विवादित आराजी को रहन, बय एवं मुन्तकिल नहीं करने बाबत मूल दावे के निस्तारण तक पाबन्द किया है । अपीलांट का भी मुख्य तर्क यही है कि क्या टाईटल निर्धारण के लिए क्या एक खातेदार को पाबन्द किया जा सकता है ।

हमने उभयपक्षों की कानूनी नजीरों का अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरों का अवलोकन किया । ए.आई.आर. 2014 पेज 32 का अवलोकन किया । इसमें विवादित आराजी कोपार्सनरी की है के आधार पर एडोप्सन के संबंध में तथ्य रखते हुए निर्णय किया है । ए.आई.आर. 2016 एस.सी. पेज 5253 का भी अवलोकन किया गया ।

रेस्पो0 के अभिभाषक द्वारा पेश कानूनी नजीरों का भी अवलोकन किया गया । कानूनी नजीर आर.बी.जे. 1998 पेज 486 के अनुसार Hindu Adoption and maintenace Act 1956, Sec.12 - After adoption, adopted child is entitaled to inhrit property of adoptive father only, and he has got no right of inhirtence in the property of his natural father. आर.आर.डी. 1989 पेज 527 Rajasthan Tenancy Act, Sec.214 read with sechedule iii - no period is prescribed for filing a

13/7

suit for declaration. आर.आर.डी. 2015 पेज 495 - on sec.225 में राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय को यथावत रखा गया कि "रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश दिया जा सकता है । यदि पक्षकारान के मध्य टाईटल को लेकर विवाद है तो वाद की बहुलता को रोकने के लिए अपील के निस्तारण तक स्थगन दिया जाना न्यायाहित में हैं ।" कानूनन पारिवारिक प्रकरणों में घोषणा का दावा निस्तारण होना होता है तो एक खातेदार को भी पाबन्द किया जा सकता है ।

यद्यपि तहत न्यायलय ने कब्जा आदि का हवाला नहीं दिया है और केवल पारिवारिक हिस्सा होने से विवादित आराजी को रहन, बय से मुन्तकिल नहीं करने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से अपीलांट को पाबन्द किया है जो कानून सम्मत है तथा उक्त कानूनी नजीरों के परिप्रेक्ष्य में आया विवादित आराजी कोपार्सनरी की है या नहीं, मूल वाद में निस्तारित होगा । साथ ही हिन्दू सक्शेसन एक्ट 1956 के प्रावधान यहां लागू होते हैं या नहीं, क्या पिता की मृत्यु से पूर्व पुत्र गोद चला जाता है तो प्राकृतिक पिता की सम्पति में अधिकार हैं या नहीं ? ये सब मूल वाद के निर्णय में तय होगें । इसलिए अपीलांट की अपील खारिज योग्य पायी जाती है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर का निर्णय दि0 5.9.2017 यथावत रखा जाता है । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 13.04.2018 को मेरे द्धारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

13/4/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर